

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या: SPMU/NUHM/Budget/2020-21/61 / 1603-2

दिनांक : 10.06.2020

विषय : राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु आवंटित/अवमुक्त धनराशि के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु संचालित विभिन्न गतिविधियों के संचालनार्थ भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके क्रम में जनपदों में एन.यू.एच.एम. के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों हेतु धनराशि का आवंटन संलग्न फॉट के अनुसार किया गया है। आवंटित धनराशि का उपयोग निम्नानुसार किया जाना है—

FMR Code No. - U.1.3.1 Operational Expenses for UPHC - वर्ष 2020-21 की आर0ओ0पी0 में Office Expenses for UPHC हेतु रू0 8000/- प्रतिमाह प्रति UPHC की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग बिजली, टेलिफोन बिल, स्टेशनरी, ओ.पी.डी. स्लिप, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, विभिन्न रजिस्टर, इत्यादि में किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन अनुसार नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु अति आवश्यक सामग्री के क्रय में किया जा सकता है।

593 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में से 147 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राज्य बजट से संचालित है जिसके लिए यदि राज्य बजट से कन्टीजेंसी मद में धनराशि उपलब्ध करायी गयी है तो राज्य बजट या एन0यू0एच0एम0 बजट में से किसी एक बजट की धनराशि का उपयोग किया जाय जिससे किसी तरह की Duplicacy न हो।

FMR Code No. - U.1.3.3 Operational Expenses of Health Kiosks- वर्ष 2020-21 की आर0ओ0पी0 में Office Expenses for Health Kiosks हेतु रू0 5000/- प्रतिमाह प्रति Health Kiosks की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

उपरोक्त की स्थापना हेतु महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्र संख्या प.क.-13/सं.नि.न./अ.हे.कि.-दि.नि./154/2018-19/5672-16 दिनांक 01.11.2017 के माध्यम से दिशा-निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

FMR Code No. - U.2.2.1 Mobility Support for ANM - इस मद में Mobility Support for ANM हेतु रू0 500/- प्रतिमाह प्रति ANM की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

उपरोक्त धनराशि का उपयोग ए0एन0एम0 द्वारा शहरी मलिन बस्तियों में शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आयोजित करने एवं क्षेत्र भ्रमण हेतु मोबिलिटी में व्यय किया जायेगा। ए0एन0एम0 द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर यह धनराशि ए0एन0एम0 के खाते में स्थानांतरित की जायेगी।

FMR Code No. - U.2.3.1 UHNDs - प्रत्येक ए.एन.एम. द्वारा अपने आवंटित क्षेत्र में 04 यू.एच.एन.डी. प्रति माह आयोजित किये जायेंगे जिसके हेतु संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार रू0 250/- प्रति UHND की दर से कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

यू.एच.एन.डी. के आयोजन हेतु परिवार कल्याण महानिदेशालय के स्तर से दिशा-निर्देश पत्र संख्या - प0क0-13/सं0नि0न0/यू0एच0एन0डी0/दिशा-निर्देश/129/2017-18/2538-75 दिनांक 28.07.2017 के माध्यम से निर्गत किये गये हैं।

नगरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालनार्थ वित्तीय दिशा निर्देश 2020-21

FMR Code No. - U.2.3.2 Special Outreach Camps -शहरी मलिन बस्तियों में निवास करने वाली जनसंख्या को निःशुल्क, गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मलिन बस्तियों में या उनके समीप नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं, परन्तु घूमन्तु, ईट भट्ठों पर काम करने वाले, रेलवे ट्रैक के पास जीवन यापन करने वाले, फैक्ट्रियों में काम करने वाले, कूड़ा बिनने वाले व अन्य Migrants इन इकाईयों के द्वारा स्वास्थ्य लाभ उठाने में असमर्थ हैं। अतः इनको मूलभूत, निःशुल्क, गुणवत्ता परक स्वास्थ्य सुविधा का लाभ देने के उद्देश्य से प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के क्षेत्र में प्रति माह 01 विशेष आउट रीच कैम्प (Special Outreach Camp) आयोजित किया जायेगा।

वर्ष 2020-21 की आर0ओ0पी0 में Special Outreach Camp in Slum & Vulnerable areas हेतु रू0 6500/- प्रतिमाह प्रति Outreach Camp की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु धनराशि (कुल धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि) आवंटित की गयी है, जो निम्नानुसार है-

क्रं.	गतिविधि	धनराशि प्रति कैम्प (रू0)
1	चिकित्सक/विशेषज्ञ चिकित्सक का दैनिक भत्ता(एम0बी0बी0एस0 एवं बी0डी0एस0 को रू 1500/- तथा विशेषज्ञ हेतु रू0 3000/-)	3,000 /-
2	पैरा मेडिकल स्टाफ कुल 03 हेतु प्रत्येक को रू0 500/-की दर से (आवश्यकतानुसार स्टाफ नर्स, एल0टी0, फार्मासिस्ट, नेत्र सहायक, डेन्टल हाइजिनिस्ट आदि को रखा जा सकता है)	1,500 /-
3	परिवहन व्यवस्था	1,000 /-
4	प्रचार-प्रसार (लाउडस्पीकर, बैनर, इत्यादि) एवं बैठने की व्यवस्था	1,000 /-
कुल योग		6,500 /-

इस सम्बन्ध में महानिदेशक, परिवार कल्याण के स्तर से महानिदेशालय परिवार कल्याण के पत्र संख्या - प0क0-13/स0न0नि0/आउटरीच कैम्प/72/2018-19/2131-75 दिनांक 12 सितम्बर, 2018 के माध्यम से दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

FMR Code No. U.3.1.1.1 Incentive for Routine Activity- इस मद में आशा प्रतिपूर्ति राशि हेतु रू0 2000/- प्रतिमाह प्रति आशा की दर से कुल 7036 स्लम अरबन आशाओं हेतु एवं रू0 1850/- प्रतिमाह प्रति आशा की दर से कुल 1300 नान स्लम अरबन आशाओं हेतु संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

FMR Code No. U.3.1.1.2 ASHA Incentives for Ayushman Bharat Health & Wellness Centres (H&WC) - इस मद में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के अन्तर्गत -

(क) पूर्व में स्वीकृत 405 हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर के अन्तर्गत कार्यरत अरबन आशाओं हेतु रू0 1000/- प्रति माह प्रति आशा की दर से कुल 4776 अरबन आशाओं हेतु 12 माह के लिये संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि के उपयोग हेतु दिशा निर्देश इस कार्यालय के पत्र संख्या - SPMU/NUHM/HWC/2019-20/76/6473 दिनांक 25.10.2019 के माध्यम से प्रेषित किये गये हैं।

(ख) वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत 54 न्यू हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर के अन्तर्गत कार्यरत 837 अरबन आशाओं हेतु रू0 1000/- प्रति माह प्रति आशा की दर से 09 माह के लिये संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। इस सम्बन्ध में पृथक से दिशा-निर्देश प्रेषित किये जायेंगे।

FMR Code No. U.3.1.1.3 Other Incentive to ASHA (Health Promotion Day) - इस मद में रू0 200/- प्रतिमाह प्रतिआशा की दर से 7036 स्लम आशाओं हेतु 12 माह के लिये धनराशि संलग्न जनपदवार फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। इसके उपयोग हेतु दिशा-निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

FMR Code No. U.3.1.1.4 Other Incentive to ASHA (Incentive for JSY & Awards for best Performing Urban ASHA) - इस मद में -

(क) JSY लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव कराये जाने पर आशा को प्रतिपूर्ति राशि के रूप में रू0 400/- प्रति लाभार्थी की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग मातृ स्वास्थ्य अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये दिशा निर्देश के अनुसार किया जायेगा।

(ख) अरबन आशाओं द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्य हेतु ASHA Award के लिये धनराशि संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। इसके उपयोग हेतु दिशा-निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

FMR Code No. U.3.1.2 -

(A) Induction Training of U-ASHA- इस मद में 281 नवीन आशाओं के प्रशिक्षण हेतु रु0 137600/- प्रति बैच की दर से एवं रु0 100/- प्रति माइयूल प्रति आशा की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। इसके उपयोग हेतु दिशा-निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

(B) ASHA HBNC Module 6 & 7 Training - इस मद में रु0 88200/- प्रति बैच की दर से कुल 231 बैच (6807 अरबन आशा) के द्वितीय चरण के प्रशिक्षण हेतु संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है।

इस सम्बन्ध में महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्र संख्या - प0क0-13/सं0नि0नग0/अर0आशा0/52/2019-20/3277-50 दिनांक 30.10.2019 के माध्यम से दिशा-निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

FMR Code No. U.3.1.3.1 Other Non Monetary Incentives cost - (Badge, Uniform, ID, etc) - इस मद में 8336 अरबन आशाओं के यूनिफार्म हेतु रु0 500/- प्रति आशा की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है।

FMR Code No. U.4.1.1.1 -Untied Grant UPHC Government Building - इस मद में सरकारी भवनों में संचालित 72 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रोगी कल्याण समिति हेतु रु0 1.75 लाख प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है।

FMR Code No. U.4.1.1.2 -Untied Grant UPHC Rented Building - इस मद में किराये के भवनों में संचालित 521 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रोगी कल्याण समिति हेतु रु0 1.00 लाख प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है।

उपरोक्त Untied Grant धनराशि के व्यय हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश महानिदेशक, परिवार कल्याण के पत्र संख्या - प0क0-13/सं0नि0नग0/रो0क0स0/116/2017-18/3875-75 दिनांक 10.08.2017 के माध्यम से प्रेषित किये गये हैं।

नोट- जनपद द्वारा नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रोगी कल्याण समिति के खाते में 01 अप्रैल, 2020 को उपलब्ध धनराशि को उपरोक्त स्वीकृत धनराशि से घटाते हुये शेष धनराशि सम्बन्धित रोगी कल्याण समिति के खाते में हस्तांतरित किया जाना है तथा प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा।

FMR Code No. New- U.4.1.2 Untied Grant for UCHC- इस मद में जनपद लखनऊ के 8 एवं वाराणसी के 3 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रोगी कल्याण समिति हेतु रु0 5.00 लाख प्रति नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से धनराशि संलग्न जनपदवार फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है।

उपरोक्त धनराशि के व्यय हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश महानिदेशक, परिवार कल्याण के पत्र संख्या - प0क0-13/सं0नि0नग0/रो0क0स0/116/2017-18/3875-75 दिनांक 10.08.2017 के माध्यम से प्रेषित किये गये हैं।

नोट- जनपद द्वारा नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रोगी कल्याण समिति के खाते में 01 अप्रैल, 2020 को उपलब्ध धनराशि को उपरोक्त स्वीकृत धनराशि से घटाते हुये शेष धनराशि सम्बन्धित रोगी कल्याण समिति के खाते में हस्तांतरित किया जाना है तथा प्रत्येक नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जाय।

FMR Code No. - U.4.1.4 Untied Grants MAS - वर्ष 2020-21 की आर0ओ0पी0 में Untied Grants for 7036 MAS हेतु रु0 5000/- प्रति MAS की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है।

उपरोक्त हेतु दिशा-निर्देश महानिदेशक, परिवार कल्याण के पत्र संख्या - प0क0-13/सं0नि0नग0/म0आ0स0/128/2018-19/2966-75 दिनांक 26 सितम्बर, 2018 एवं पत्र संख्या- प0क0-13/सं0नि0नग0/म0आ0स0/दिशानि0/128/2017-18/34-75 दिनांक 10 अप्रैल, 2017 के माध्यम से निर्गत किये जा चुके हैं।

नोट— जनपद द्वारा महिला आरोग्य समिति के खाते में 01 अप्रैल, 2020 को उपलब्ध धनराशि को उपरोक्त स्वीकृत धनराशि से घटाते हुये शेष धनराशि सम्बंधित महिला आरोग्य समिति के खाते में हस्तांतरित किया जाना है तथा प्रत्येक महिला आरोग्य समिति द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा।

FMR Code No. - U.5.1.4.1 - Rent for UPHC: इस मद में 521 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के किराये हेतु रु0 17325/- प्रति माह प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। प्रत्येक किराये के भवन हेतु अधिकतम सीमा रु0 17325/- प्रति माह प्रति भवन की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। किराये का निर्धारण डी0एम0 सर्किल रेट या रु0 17325/- जो कम हो देय होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि जनपद के किसी नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का किराया एरिया क्षेत्रफल एवं डी0एम0 सर्किल रेट के अनुसार रु0 17325/- से अधिक हो तो जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदनोपरान्त भवन को किराये पर लेते हुए जनपद को किराये मद में कुल आवंटित धनराशि में से प्रतिमाह बचत धनराशि से नियमानुसार भुगतान किया जा सकता है।

FMR Code No. - U.5.3.1 - Infrastructure strengthening of UPHC to H&WC: इस मद में 54 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में सृदृढीकरण किये जाने हेतु रु0 1.00 लाख प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से धनराशि संलग्न फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

FMR Code No. - U.6.2.1.1 Procurement of Drugs for AB-H&WCs- इस मद में कुल 459 (405 पूर्व से संचालित एवं 54 नवीन स्वीकृत) हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर हेतु Reagent & consumables के क्रय के लिए कुल स्वीकृत धनराशि का 20 प्रतिशत की धनराशि (रु0 130000/- प्रति हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर की दर से) संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है।

FMR Code No. - U.6.2.1.2 Procurement of Drugs for facilities other than AB-H&WCs (including UPHCs, UCHCs and Maternity Home etc.)- इस मद में हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर के अतिरिक्त अन्य 134 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर Reagent & consumables के क्रय हेतु कुल स्वीकृत धनराशि का 20 प्रतिशत की धनराशि (रु0 130000/- प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से) संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है।

FMR Code No. - U.6.2.2.1 ASHA Drug Kits – इस मद में कुल 1300 नान स्लम आशाओं हेतु रु0 750/- प्रति आशा प्रति आशा ड्रग किट की दर से धनराशि संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है। इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

FMR Code No. - U.6.5.1 Tablet /Software for IT support of Ayushman Bharat (H&WC) –

(a) 54 नवीन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के लिये Computer & Printer हेतु रु0 50000/- प्रति हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है।

(b) हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर (405 पूर्व से संचालित एवं 54 नवीन स्वीकृत) के रूप में संचालित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर इन्टरनेट कनेक्विटी हेतु 01 वर्ष हेतु रु0 10000/- प्रति हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है।

FMR Code No. – U.8.1.1.1 ANM/LHV for UPHC: इस मद के अन्तर्गत AMN के मानदेय हेतु निम्नवत स्वाकृति प्रदान की गयी है—

(a) **ANM Shifted from Urban RCH** – इस मद में कुल 230 ए.एन.एम. के मानदेय हेतु रु0 15884/- प्रति माह प्रति ANM की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

- (b) **ANM Approved in 2013-14 & 2014-15** – इस मद में कुल 2217 ANM के मानदेय हेतु रु0 14505/– प्रति माह प्रति ANM की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।
- (c) **ANM Approved in 2015-16** – इस मद में कुल 275 ANM के मानदेय हेतु रु0 13180/– प्रति माह प्रति ANM की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।
- (d) **181 ANM currently Vacant** – इस मद में रु0 10915/– प्रति माह प्रति ANM की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 04 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

FMR Code No. – U.8.1.2.1 Staff Nurses for UPHC: इस मद के अन्तर्गत स्टाफ नर्स की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिनका विवरण निम्नवत है—

- (a) **Staff Nurses Shifted from Urban RCH** – इस मद में कुल 231 स्टाफ नर्स हेतु रु0 26460/– प्रति माह प्रति Staff Nurse की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।
- (b) **वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में स्वीकृत** – इस मद में कुल 305 स्टाफ नर्स हेतु रु0 24175/– प्रति माह प्रति Staff Nurse की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।
- (c) **वर्ष 2016–17 में स्वीकृत** – इस मद में कुल 375 स्टाफ नर्स हेतु रु0 21966/– प्रति माह प्रति Staff Nurse की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।
- (d) **215 Staff Nurse currently Vacant** – इस मद में रु0 19101/– प्रति माह प्रति स्टाफ नर्स की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

FMR Code No. – U.8.1.2.2 Staff Nurse for UCHC –

- (a) लखनऊ शहर के 08 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (बाल महिला चिकित्सालय एवं प्रसूति गृह) हेतु संविदा पर प्रति Staff Nurse प्रति नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के मानदेय हेतु रु0 26460/– प्रति माह प्रति Staff Nurse की दर से कुल 12 माह की धनराशि आवंटित की गयी है।
- (b) वाराणसी शहर के 02 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (मैटरनिटी होम चौकाघाट एवं दुर्गाकुण्ड) हेतु संविदा पर 03 Staff Nurse प्रति नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के मानदेय हेतु रु0 21966/– प्रति माह प्रति Staff Nurse की दर से कुल 12 माह की धनराशि आवंटित की गयी है।
- (c) वाराणसी शहर के नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शिवपुर हेतु संविदा पर नवीन स्वीकृत 03 Staff Nurse के मानदेय हेतु रु0 19101/– प्रति माह प्रति Staff Nurse की दर से कुल 12 माह की धनराशि आवंटित की गयी है।

FMR Code No. – U.8.1.3.1 - Lab Technician at UPHC:

- (a) **वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में स्वीकृत** – कुल 460 Lab Technician हेतु रु0 17268/– प्रति माह प्रति Lab Technician की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।
- (b) **वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में स्वीकृत** – कुल 73 Lab Technician हेतु रु0 15715/– प्रति माह प्रति Lab Technician की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।
- (c) **59 Lab Technician currently Vacant** – इस मद में रु0 13666/– प्रति माह प्रति Lab Technician की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

(d) **01 Lab Technician New Approved** – इस मद में जनपद मीरजापुर हेतु नवीन स्वीकृत 01 Lab Technician हेतु रु0 13666/- प्रति माह प्रति Lab Technician की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 03 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

FMR Code No. – U.8.1.3.2 –

- (a) **Lab Technician at UCHC** : इस मद में वाराणसी शहर के 02 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (मैटरनिटी होम चौकाघाट एवं दुर्गाकुण्ड) हेतु संविदा पर प्रति Lab Technician प्रति नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के मानदेय हेतु रु0 15715/- प्रति माह प्रति Lab Technician की दर से कुल 12 माह की धनराशि आवंटित की गयी है।
- (b) इस मद में जनपद वाराणसी के नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शिवपुर हेतु नवीन स्वीकृत 01 Lab Technician हेतु रु0 13666/- प्रति माह प्रति Lab Technician की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 03 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

FMR Code No. – U.8.1.4.1 - Pharmacist at UPHC:

- (a) **वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में स्वीकृत** - इस मद में कुल 459 Pharmacist हेतु रु0 24162/- प्रति माह प्रति Pharmacist की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।
- (b) **वर्ष 2015–16 में स्वीकृत** - इस मद में कुल 72 Pharmacist हेतु रु0 21966/- प्रति माह प्रति Pharmacist की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।
- (c) **62 Pharmacist currently Vacant** – इस मद में कुल 62 Pharmacist के मानदेय हेतु रु0 19101/- प्रतिमाह प्रति Pharmacist की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

FMR Code No. - U.8.1.5.3 Any Other (Data Assistant at UCHC lko) - जनपद लखनऊ में Other NUHM (08 Data Assistant, lko) हेतु रु0 17504/- प्रतिमाह प्रति Data Assistant की दर से कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

FMR Code No. – U.8.1.6.1 Gynaecologist :

- (a) इस मद में लखनऊ के नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (बाल महिला चिकित्सालय एवं प्रसूति गृह) हेतु संविदा पर कार्यरत 06 Gynaecologist के मानदेय हेतु रु0 86822/- प्रति माह प्रति Gynaecologist की दर से कुल 12 माह हेतु एवं 02 Gynaecologist के मानदेय हेतु रु0 82688/- प्रति माह प्रति Gynaecologist की दर से कुल 12 माह की धनराशि संलग्न फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है।
- (b) इस मद में जनपद वाराणसी के नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शिवपुर हेतु नवीन स्वीकृत 01 Gynaecologist के मानदेय हेतु रु0 82688/- प्रति माह प्रति Gynaecologist की दर से कुल 03 माह की धनराशि संलग्न फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है।

FMR Code No. – U.8.1.6.2 Paediatrician : इस मद में 07 Paediatrician (5-Lucknow & 2- Varanasi) के मानदेय हेतु रु0 86822/- प्रति माह प्रति Paediatrician की दर से एवं 04 Paediatrician (3-Lucknow & 1- Varanasi UCHC- Shivpur) के रिक्त पदों हेतु रु0 82688/- प्रति माह प्रति Paediatrician की दर कुल 12 माह की धनराशि संलग्न फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है।

FMR Code No. – U.8.1.6.3 - Anaesthetist : इस मद में 06 Anaesthetist (4-Lucknow & 2- Varanasi) के मानदेय हेतु रु0 86822/- प्रति माह प्रति Anaesthetist की दर से कुल 12 माह के मानदेय हेतु एवं 04 Anaesthetist (Lucknow) के रिक्त पदों हेतु रु0 82688/- प्रति माह प्रति Anaesthetist की दर से कुल 12 माह की धनराशि संलग्न फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है।

FMR Code No. – U.8.1.6.4 - Surgeon : इस मद में वाराणसी शहर के 02 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (मैटरनिटी होम चौकाघाट एवं दुर्गाकुण्ड) हेतु संविदा पर प्रति Surgeon प्रति नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के मानदेय हेतु रु0 86822/- प्रति माह प्रति Surgeon की दर से कुल 12 माह की धनराशि संलग्न फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है।

FMR Code No. – U.8.1.6.6 - Radiologist : इस मद में लखनऊ के 08 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (बाल महिला चिकित्सालय एवं प्रसूति गृह) हेतु संविदा पर प्रति Radiologist प्रति नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के मानदेय हेतु रु0 82688/- प्रति माह प्रति Radiologist की दर से कुल 12 माह की धनराशि संलग्न फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है।

FMR Code No. – U.8.1.6.7 - Other Specialist (Physician) : इस मद में 08 बाल नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (बाल महिला चिकित्सालय एवं प्रसूति गृह) हेतु संविदा पर प्रति Physician प्रति नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के मानदेय हेतु रु0 82688/- प्रति माह प्रति Physician की दर से कुल 12 माह की धनराशि आवंटित की गयी है।

FMR Code No. - U.8.1.8.1.1 Full Time MO at UPHC:

- (a) इस मद में कुल 323 पूर्ण कालिक एम.बी.बी.एस. चिकित्सक हेतु रु0 57750/- प्रतिमाह प्रति MO की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।
- (b) इस मद में कुल 130 पूर्ण कालिक एम.बी.बी.एस. चिकित्सक (रिक्त) हेतु रु0 55000/- प्रतिमाह प्रति की MO दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

FMR Code No. – U.8.1.8.1.2 Part Time MO at UPHC: इस मद में स्वीकृत Part Time MO हेतु रु0 30000/- प्रतिमाह प्रति MO की दर से सम्बन्धित जनपदों को कुल 12 माह हेतु संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है।

नोट- जनपद में पार्ट टाइम चिकित्सक के पद रिक्त होने पर राज्य स्तर से स्वीकृति उपरान्त ही उनकी भर्ती की जाय।

FMR Code No. – U.8.1.8.3.1 Full Time MO at UCHC (EMO) : इस मद में जनपद वाराणसी के 02 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (मैटरनिटी होम चौकाघाट एवं दुर्गाकुण्ड) हेतु संविदा पर 01-01 EMO के मानदेय हेतु रु0 57750/- प्रति माह प्रति EMO की दर से कुल 12 माह की धनराशि आवंटित की गयी है।

FMR Code No. – U.8.1.10.1 -Other Support staff - NUHM:

- (a) इस मद में वर्तमान में कार्यरत 1289 Support Staff हेतु रु0 9054.00 (मानदेय + 5% Annual Increment) एवं EPF/ESI/GST/other charges का कुल बजट रु0 13256/-प्रतिमाह प्रति Support Staff की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। नगरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर वर्तमान में कार्यरत 1289 Support Staff (DHS/Agency) के अनुसार मानदेय प्रतिमाह नियमानुसार धनराशि देय होगी-

Support Staff-NUHM FY 2020-21		
Particular	Employee Hired by DHS	Employee Hired by Agency
Salary	9054	9054
PF (Emp.) 12%	1086	1086
ESI (Emp.) 1.75%		158
Net Payable to Employee	7968	7810
GST 18%		1793
Service Charge (10%)		905
EPF (13.36%) by Employer	1210	1210
ESI (3.25%) by Employer		294
Total	10264	13256

- (b) इस मद में रिक्त 52 Support Staff हेतु रु0 8548.00 (मानदेय + 5% Annual Increment) एवं EPF/ESI/GST/other charges का कुल बजट रु0 12516/-प्रतिमाह प्रति Support Staff की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। इनके (EPF,ESI,GST & other charges) की गणना संलग्न फाट में अलग से करते हुये आवंटित की गयी है। नगरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर वर्तमान में रिक्त 52 Support Staff की तैनाती (Agency) के अनुसार मानदेय प्रतिमाह नियमानुसार धनराशि देय होगी-

Support Staff-NUHM FY 2020-21	
Particular	Employee Hired by Agency
Salary	8548
PF (Emp.) 12%	1026
ESI (Emp.) 1.75%	150
Net Payable to Employee	7372
GST 18%	1693
Service Charge (10%)	855
EPF (13.36%) by Employer	1142
ESI (3.25%) by Employer	278
Total	12516

FMR Code No. – U.8.1.10.2 DEO cum Accountant - NUHM - इस मद में कुल 56 DEO cum Accountant हेतु ₹0 17850/- प्रति माह प्रति **DEO cum Accountant** की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

Annual Increment for all existing positions - Annual Increment & Loyalty Bonus हेतु धनराशि पदवार मानदेय में सम्मिलित करते हुये संलग्न जनपदवार फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है, जो निम्नानुसार देय होगी—

Annual Increment -

- वे संविदा कर्मी जिनका 01 वर्ष की संतोषजनक सेवा वर्ष 2020-21 के मध्य में पूर्ण हो रहा है, उन्हें 01 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में 5 प्रतिशत की प्रथम वार्षिक वेतनवृद्धि योगदान के माह की पहली तारीख से प्रदान किया जाना।
- वे संविदा कर्मी जो 01 अप्रैल 2020 को 01 वर्ष या उससे अधिक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें 01 अप्रैल 2020 से भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में 5 प्रतिशत की वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान किया जाना है।

Loyalty Bonus -

- जिन संविदा कर्मियों द्वारा वर्ष 2020-21 में सेवाकाल का 03 वर्ष पूर्ण किया गया है उनको मार्च 2020 में निर्गत किये गये वेतन में 10 प्रतिशत Loyalty Bonus देय होगा।
 - जिन संविदा कर्मियों द्वारा वर्ष 2020-21 में सेवाकाल का 05 वर्ष पूर्ण किया गया है उनको मार्च 2020 में निर्गत किये गये वेतन में 5 प्रतिशत (उनको 10 प्रतिशत Loyalty Bonus का लाभ पूर्व में भुगतान किया जा चुका है) Loyalty Bonus देय होगा।
 - ऐसे महिला कर्मी जो मातृत्व अवकाश पर हो एवं वर्ष 2020-21 में निरन्तर 03 अथवा 05 वर्ष की सेवा 01 ही पद पर पूर्ण कर ली हो भी Loyalty Bonus की पात्र होंगी।
 - जिन संविदाकर्मियों का 03 वर्ष में कुल 06 माह तथा 05 वर्ष में कुल 08 माह का अवकाश स्वीकृत किया गया है। उन संविदाकर्मियों के अवकाश के समय 03 वर्ष में कुल 06 माह तथा 05 वर्ष कुल 08 माह को सेवाकाल में आकलन न किया जाय।
 - सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को Loyalty Bonus का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- नोट –** पूर्ण कालिक एम.बी.बी.एस. चिकित्सक एवं सपोर्ट स्टाफ के मानदेय में वित्तीय वर्ष 2018-19 में पुनरीक्षित (Revised) किया गया है अतः 2018-19 से 03 वर्ष पूर्ण न होने के कारण इस वर्ष Loyalty Bonus हेतु धनराशि स्वीकृत नहीं है।

EPF (Employer's Contribution @ 13.36 % for salaries <= 15000/- p.m.) - EPF हेतु धनराशि पदवार मानदेय में सम्मिलित करते हुये ₹0 15000/- प्रतिमाह या कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों हेतु EPF (Employer's Contribution @ 13.36%) की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। EPF के सम्बन्ध में राज्य स्तर से दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये। जिन कर्मियों की वर्तमान

पद पर नियुक्ति के समय मानदेय रु0 15000/-प्रतिमाह से कम था, परन्तु वर्तमान में उनका मानदेय रु0 15000/- प्रतिमाह से अधिक हो गया है तो उन कर्मियों के EPF की गणना रु0 15000/- प्रतिमाह की दर से की जायेगी।

FMR Code No. - U.9.5.7.1 Training of MO and Staff Nurse for H&WC- इस मद में 54 नवीन स्वीकृत हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर तैनात चिकित्साधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु रु0 117660/- प्रति बैच की दर से 02 बैचों हेतु एवं स्टाफ नर्स के प्रशिक्षण हेतु रु0 94005/- प्रति बैच की दर से 03 बैचों हेतु जनपद लखनऊ को संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। यह प्रशिक्षण आर.एफ.पी.टी.सी. लखनऊ पर कराया जायेगा। इस सम्बंध में विस्तृत दिशा -निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

FMR Code No. - U.9.5.7.3 Multi-skilling of FHW for H&WC- इस मद में 54 नवीन स्वीकृत हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर तैनात ए.एन.एम. के प्रशिक्षण हेतु रु0 88005/- प्रति बैच की दर से 09 बैचों हेतु सम्बन्धित जनपदों को संलग्न जनपदवार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। इस सम्बंध में विस्तृत दिशा -निर्देश पृथक से निर्गत किये जा रहे हैं।

FMR Code No. - U.12.1 Printing Activities -

- इस मद में प्रिंटिंग हेतु रु0 325/- प्रति Urban ASHA की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसमें Urban ASHA register (Rs. 300/- प्रति रजिस्टर) & Urban ASHA Voucher (Rs. 25/- प्रति वाउचर) हेतु संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। UHIR प्रिंटिंग हेतु संशोधित प्रारूप पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।
- इस मद में RKS Register हेतु रु0 250/- प्रति रजिस्टर प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से 593 रजिस्टर हेतु धनराशि संलग्न जनपदवार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। इस सम्बंध में विस्तृत दिशा -निर्देश पृथक से निर्गत किये जा रहे हैं।

FMR Code No. - U.12.2 Printing Activities for H&WC-

- इस मद में NCD screening के लिये अरबन आशा (पूर्व में स्वीकृत 405 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु 4776 अरबन आशा एवं वर्तमान में स्वीकृत 54 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु 837 अरबन आशा) हेतु C-BAC form & Family folder की प्रिंटिंग के लिए धनराशि (रु0 10/- प्रति C-BAC form & Family folder per House hold for 400 House Hold per Urban ASHA की दर से) संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है।
- इस मद में रु0 5/- per Mental Health Checklist per ASHA for 200 Persons for 5613 ASHA under 459 HWC (4776 U-ASHA under 405 HWC + 837 U-ASHA under 54 New Approved HWC) की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है।

FMR Code No. - U.16.1.3.2 Mobility Support for SPMU- इस मद में Mobility Support हेतु रु0 33000/- प्रतिमाह की दर से प्रति Div. PMU को संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

FMR Code No. - U. 16.1.3.3 Mobility Support DPMU - इस मद में Mobility Support DPMU हेतु रु0 33000/- प्रतिमाह प्रति DPMU who are having > 3 cities or > 10 UPHCs (20 DPMU), रु0 10000/- प्रतिमाह प्रति DPMU who are having > 1 city or > 3 UPHCs (20 DPMU) एवं अन्य 32 DPMU को रु0 5000/- प्रतिमाह प्रति DPMU की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

FMR Code No. - U. 16.1.3.4 Mobility Support CPMU -

- रु0 3000/- प्रतिमाह की दर से प्रति सी.सी.पी.एम. को संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।
- रु0 2000/- प्रतिमाह की दर से प्रति Accountant cum DEO को संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

नोट - इस धनराशि का उपयोग इस कार्यालय के पत्र संख्या SPMU/NUHM/DPMU/2019-20/57/1958 दिनांक 31.05.2019 के अनुसार किया जायेगा।

FMR Code No. - U.16.1.4.2 Administrative Expenses for SPMU - इस मद में Administrative Expenses हेतु रू0 15000/- प्रतिमाह की दर से प्रति Div. PMU को संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग मण्डल मुख्यालय के अतिरिक्त की बैठक, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण इत्यादि में प्रतिभाग किये जाने हेतु, डी.ए., बोर्डिंग लॉजिंग एवं यात्रा व्यय, टेलीफोन बिल, फोटोकॉपी, स्टेशनरी एवं कार्य के आवश्यकतानुसार अन्य कंटेनजेंसी मद में किया जायेगा।

FMR Code No. - U.16.1.4.3 Administrative Expenses for DPMU - इस मद में Administrative Expenses हेतु रू0 20000/- प्रतिमाह प्रति DPMU who are having > 3 cities or > 10 UPHCs एवं शेष जनपदों को रू0 15000/- प्रतिमाह प्रति DPMU की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार से कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग राज्य/मण्डल स्तर की बैठक, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण इत्यादि में प्रतिभाग किये जाने हेतु, डी.ए., बोर्डिंग लॉजिंग एवं यात्रा व्यय, टेलीफोन बिल, फोटोकॉपी, स्टेशनरी एवं कार्य के आवश्यकतानुसार अन्य कंटेनजेंसी मद में किया जायेगा।

FMR Code No. - U.16.1.4.4 Administrative Expenses for CPMU - इस मद में Administrative Expenses हेतु रू0 2500/- प्रति माह प्रति सिटी पी.एम.यू. की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग CCPM & Accountant cum DEO दोनों के द्वारा किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग राज्य/मण्डल स्तर की बैठक, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण इत्यादि में प्रतिभाग किये जाने हेतु डी.ए., बोर्डिंग लॉजिंग एवं यात्रा व्यय, टेलीफोन बिल, फोटोकॉपी, स्टेशनरी एवं कार्य के आवश्यकतानुसार अन्य कंटेनजेंसी मद में किया जायेगा।

नोट - मण्डलीय अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट/शहरी स्वास्थ्य समन्वयक/डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट/सी.सी. पी.एम./एकाउन्टेंट कम डीइओ के TA/DA हेतु धनराशि का उपयोग इस कार्यालय के पत्र संख्या SPMU/NUHM/DPMU/2019-20/57/1644 दिनांक 22.05.2019 के अनुसार किया जायेगा।

FMR Code No. - U.16.4.1.1 State PMU Human Resources - मण्डल स्तर पर तैनात 18 मण्डलीय अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट के मानदेय हेतु रू0 50715/- प्रतिमाह प्रति Div UHC की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

FMR Code No. - U.16.4.2.1 District PMU Human Resources - जनपद स्तर पर निम्नवत् धनराशि संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है -

- वर्तमान में कार्यरत कुल 63 अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर के मानदेय हेतु Rs. 38036/- pm की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु।
- वर्तमान में रिक्त कुल 12 अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर के मानदेय हेतु Rs. 30000/- pm की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु।
- वर्तमान में कार्यरत कुल 69 डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट के मानदेय हेतु Rs. 25358/- pm की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु।
- वर्तमान में रिक्त कुल 14 डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट के मानदेय हेतु Rs. 20000/- pm की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु।
- **Sr. Computer Operator, Store Keeper, Support staff** - लखनऊ शहर के जिला मुख्यालय पर अरबन आर.सी.एच. कार्यक्रम में पूर्व से कार्यरत संविदा मानव संसाधन के रूप में Sr. Computer Operator हेतु रू0 23826/- प्रतिमाह की दर, Store Keeper हेतु रू0 15884/- प्रतिमाह की दर से एवं वर्तमान में कार्यरत 03 Support Staff हेतु रू0 9054.00 (मानदेय + 5% Annual Increment) एवं EPF/ESI/GST/ other charges का कुल बजट रू0 13256/- प्रतिमाह प्रति Support Staff की दर से

संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है, जो निम्नानुसार देय होगी—

Support Staff-NUHM FY 2020-21		
Particular	Employee Hired by DHS	Employee Hired by Agency
Salary	9054	9054
PF (Emp.) 12%	1086	1086
ESI (Emp.) 1.75%		158
Net Payable to Employee	7968	7810
GST 18%		1793
Service Charge (10%)		905
EPF (13.36%) by Employer	1210	1210
ESI (3.25%) by Employer		294
Total	10264	13256

(सपोर्ट स्टाफ हेतु राज्य स्तर से दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा)

FMR Code No. - U.16.4.3.1 City PMU Human Resource - 41 CCPM हेतु रु0 15000/- प्रतिमाह प्रति CCPM की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

Annual Increment for all existing positions - Annual Increment & Loyalty Bonus हेतु धनराशि पदवार मानदेय में सम्मिलित करते हुये संलग्न जनपदवार फॉट के अनुसार आवंटित की गयी है, जो निम्नानुसार देय होगी—

Annual Increment -

- वे संविदा कर्मियों जिनका 01 वर्ष की संतोषजनक सेवा वर्ष 2020-21 के मध्य में पूर्ण हो रहा है, उन्हें 01 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में 5 प्रतिशत की प्रथम वार्षिक वेतनवृद्धि योगदान के माह की पहली तारीख से प्रदान किया जाना।
- वे संविदा कर्मी जो 01 अप्रैल 2020 को 01 वर्ष या उससे अधिक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें 01 अप्रैल 2020 से भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में 5 प्रतिशत की वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान किया जाना है।

Loyalty Bonus -

- जिन संविदा कर्मियों द्वारा वर्ष 2020-21 में सेवाकाल का 03 वर्ष पूर्ण किया गया है उनको मार्च 2020 में निर्गत किये गये वेतन में 10 प्रतिशत Loyalty Bonus देय होगा।
- जिन संविदा कर्मियों द्वारा वर्ष 2020-21 में सेवाकाल का 05 वर्ष पूर्ण किया गया है उनको मार्च 2020 में निर्गत किये गये वेतन में 5 प्रतिशत (उनको 10 प्रतिशत Loyalty Bonus का लाभ पूर्व में भुगतान किया जा चुका है) Loyalty Bonus देय होगा।
- ऐसे महिला कर्मी जो मातृत्व अवकाश पर हो एवं वर्ष 2020-21 में निरन्तर 03 अथवा 05 वर्ष की सेवा 01 ही पद पर पूर्ण कर ली हो भी Loyalty Bonus की पात्र होंगी।
- जिन संविदाकर्मियों का 03 वर्ष में कुल 06 माह तथा 05 वर्ष में कुल 08 माह का अवकाश स्वीकृत किया गया है। उन संविदाकर्मियों के अवकाश के समय 03 वर्ष में कुल 06 माह तथा 05 वर्ष कुल 08 माह को सेवाकाल में आकलन न किया जाय।
- सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को Loyalty Bonus का लाभ नहीं दिया जायेगा।

EPF (Employer's Contribution @ 13.36 % for salaries <= 15000/- p.m.) - EPF हेतु धनराशि पदवार मानदेय में सम्मिलित करते हुये रु0 15000/- प्रतिमाह या कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों हेतु EPF (Employer's Contribution @ 13.36%) की दर से संलग्न जनपद वार फॉट के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है। EPF के सम्बन्ध में राज्य स्तर से दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये। जिन कर्मियों की वर्तमान पद पर नियुक्ति के समय मानदेय रु0 15000/-प्रतिमाह से कम था, परन्तु वर्तमान में उनका मानदेय

रु0 15000/- प्रतिमाह से अधिक हो गया है तो उन कर्मियों के EPF की गणना रु0 15000/- प्रतिमाह के मानदेय पर की जायेगी।

ESI - भारत सरकार के पत्र दिनांक 02.08.2019 के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत पात्र कर्मियों हेतु कर्मचारी बीमा योजना के प्राविधान को लागू किया गया है। भारत सरकार द्वारा रु0 21000/- प्रतिमाह (रु0 25000/- प्रतिमाह दिव्यांग कर्मियों हेतु) तक के मानदेय प्राप्त करने वाले पात्र आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मियों हेतु ई0एस0आई0 की स्वीकृति आर0ओ0पी0 2020-21 में प्रदान की गयी है। ई0एस0आई0 हेतु समय समय पर भारत सरकार द्वारा प्राप्त अन्य दिशा-निर्देश लागू किया जायेगा।

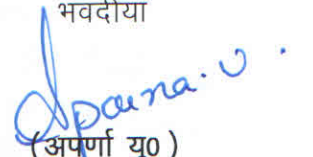
उपरोक्त गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि के उपयोग हेतु निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान दिया जाय-

1. विभिन्न गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान पी.एफ.एम.एस. पोर्टल द्वारा किया जाय। किसी भी दशा में किसी भी कर्मचारी को या सेवा प्रदाता को नगद भुगतान न किया जाय। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला मुख्यालय पर भुगतान किये गये समस्त बिल बाउचर सुरक्षित रखे जाय, जिससे कि ऑडिट या अन्य जाँच के समय प्रेषित किया जा सके।
2. ऑपरेशनल गाइडलाइन पर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट के नियमों का अनुपालन किया जाये।
3. धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम. एवं कार्यक्रम से संबन्धित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्तानुसार धनराशि उपयोजित करने के पश्चात भौतिक एवं वित्तीय आख्या एस0पी0एम0यू0 के एन.यू.एच.एम. अनुभाग, अरबन हेल्थ सेल, परिवार कल्याण महानिदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया

(अपर्णा यू0)
मिशन निदेशक
तददिनांक

पत्र संख्या : SPMU/NUHM/Budget/2020-21/61

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त महाप्रबंधक/उपमहाप्रबंधक/अधिशाली अभियंता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक/मण्डलीय अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधक/शहरी स्वास्थ्य समन्वयक, उत्तर प्रदेश।

(डा0 स्वप्ना दास)
महाप्रबंधक एन0यू0एच0एम0

रु0 15000/- प्रतिमाह से अधिक हो गया है तो उन कर्मियों के EPF की गणना रु0 15000/- प्रतिमाह के मानदेय पर की जायेगी।

ESI - भारत सरकार के पत्र दिनांक 02.08.2019 के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत पात्र कर्मियों हेतु कर्मचारी बीमा योजना के प्राविधान को लागू किया गया है। भारत सरकार द्वारा रु0 21000/- प्रतिमाह (रु0 25000/- प्रतिमाह दिव्यांग कर्मियों हेतु) तक के मानदेय प्राप्त करने वाले पात्र आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मियों हेतु ई0एस0आई0 की स्वीकृति आर0ओ0पी0 2020-21 में प्रदान की गयी है। ई0एस0आई0 हेतु समय समय पर भारत सरकार द्वारा प्राप्त अन्य दिशा-निर्देश लागू किया जायेगा।

उपरोक्त गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि के उपयोग हेतु निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान दिया जाय-

1. विभिन्न गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान पी.एफ.एम.एस. पोर्टल द्वारा किया जाय। किसी भी दशा में किसी भी कर्मचारी को या सेवा प्रदाता को नगद भुगतान न किया जाय। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला मुख्यालय पर भुगतान किये गये समस्त बिल बाउचर सुरक्षित रखे जाय, जिससे कि ऑडिट या अन्य जाँच के समय प्रेषित किया जा सके।
2. ऑपरेशनल गाइडलाइन पर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट के नियमों का अनुपालन किया जाये।
3. धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम. एवं कार्यक्रम से संबन्धित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्तानुसार धनराशि उपयोगित करने के पश्चात भौतिक एवं वित्तीय आख्या एस0पी0एम0यू0 के एन.यू.एच.एम. अनुभाग, अरबन हेल्थ सेल, परिवार कल्याण महानिदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया

(अपर्णा यू0)
मिशन निदेशक
तददिनांक

पत्र संख्या : SPMU/NUHM/Budget/2020-21/61/1603-2(10)
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त महाप्रबंधक/उपमहाप्रबंधक/अधिशाली अभियंता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक/मण्डलीय अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधक/शहरी स्वास्थ्य समन्वयक, उत्तर प्रदेश।

(डा0 स्वप्ना दास)
महाप्रबंधक एन0यू0एच0एम0

नगरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालनार्थ वित्तीय दिशा निर्देश 2020-21